# अध्याय 2

# भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के मुख्यालय में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

## वानिकी अनुसंधान

### 1. जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन (जै.वि.ज.प.) प्रभाग

जैव विविधता संरक्षण एवं मौसम परिवर्तन की समस्या का हल खोजने के लिए जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन (जै.वि.ज.प.) प्रभाग ने अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीति कार्यक्रम चलाये हैं।

#### (क) जैवविविधता

1. **परिरक्षण भूखंडः** जीवविज्ञानीय विविधता अवधारणाओं के तहत जैव विविधता के अनुरक्षण या परिवर्तन को मॉनीटर करने के लिए परिरक्षण भूखंड महत्वपूर्ण उपाय हैं। इस दिशा में जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने परिरक्षण भूखण्डों पर एक अवधारणात्मक नोट तैयार किया है, जिसे वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के वन संवर्धन प्रभाग द्वारा अखिल भारतीय परियोजना संयोजन में शामिल किया जाना है। फरवरी 2008 के दौरान परिषद् की अनुसंधान नीति समिति ने परियोजना को स्वीकार किया है।

2. **आक्रामक वन प्रजातियांः** जैवविविधता अवधारणा की 8वीं अनुसूचि में सरकार को ''उन प्रजातियों पर नियंत्रण करने या उनका उन्मूलन करने का प्रयास करने को कहा गया है जो पारिपद्धति प्राकृतिकवास या प्रजातियों के लिए खतरा हैं।'' जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग द्वारा भारत में उन प्रजातियों की आक्रामकता की जांच करने, वृक्ष प्रजातियों की रोपणियों में उनके फैलाव का पता लगाने और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जांच करने का प्रयास किया है। इस उद्देश्य के लिए कुछ आक्रामक वन प्रजातियों पर संक्षिप्त सूचनाओं को संकलित करके भा.वा.अ.शि.प. के वैब साईट में डाल दिया गया है।

3. जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने जून 2007 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ''जीव विज्ञान विविधता अधिनियम 2002 तथा जैवविविधता नियम 2004 को कारगर बनाने में आने वाली बाधाओं के बारे में सलाह देने में योगदान किया है।

4. **जैवविविधता से जीवविज्ञानीय–विविधता की अवधारणा पर चौथी राष्ट्रीय रिपोर्टः** जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने भा.वा.अ.शि.प. के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से जीवविज्ञानीय विविधता की अवधारणाओं पर सूचनायें संकलित करके जैवविविधता पर चौथी रिपोर्ट के लिए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई और मार्च 2008 में रिपोर्ट को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को सौंप दिया।

## (ख) जलवायु परिवर्तन

जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने जलवायु परिवर्तन से संबन्धित बाह्य सहायता प्राप्त एक परियोजना को हाथ में लिया है।

**भारत की वनीय मृदाओं में 1995–2007 तक मृदा कार्बन स्टॉक तथा गतिकी का आकलनः** यह परियोजना यूएनडीपी–जीईएफ द्वारा निधि प्राप्त है। विनरॉक इन्टरनेशनल इन्डिया की परियोजना ''भारत के दूसरे राष्ट्रीय संचार यूएनएफसीसीसी के क्रियाकलापों की तैयारी'' हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने परियोजना के क्रियाकलापों के बारे में भा.वा.अ.शि.प. के साथ उपसंविदा की है।

यूएनएफसीसीसी की द्वितीय राष्ट्रीय संचार जिसे नेटकॉम II भी कहा जाता है, एक राष्ट्रीय रिपोर्टिंग है जो यूएनएफसीसीसी के तहत आवश्यक है। द्वितीय राष्ट्रीय संचार की तैयारी समयबद्ध क्रियाकलाप है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भारत सरकार की ओर से अवधारणा की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सम्मेलन में पार्टियों के निर्णयों के अनुरूप सूचना देनी है।

द्वितीय राष्ट्रीय कम्यूनीकेशन में भा.वा.अ.शि.प. को निम्नलिखित कार्य दिये गये हैं :

- ❖ भारत की वन मृदा में आर्गेनिक कार्बन स्टॉक का आकलन।
- ❖ वन से गैर–वनीय और गैर–वनीय से वन में भूमि उपयोजन के परिवर्तन से मृदा कार्बन गतिकी का आकलन।
- ❖ सम्बन्धित उत्सर्जन कारकों की समीक्षा और संकलन।
- ❖ क्यू.ए./क्यू.सी. योजनाओं का विकास करना तथा आकलन में अनिश्चिताओं का पता लगाना।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को यह राष्ट्रीय रिपोर्टिंग भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून के सहयोग से पूरी करनी है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, भा०वा०अ०शि०प० के अन्य संस्थानों तथा सहयोगियों के बीच नोडल संचार बिन्दु हैं।

## (ग) अन्य क्रियाकलाप

1. **महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् तथा प्रमुख, जैविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा यूएनएफसीसीसी की 26वीं एसबीएसटीए/एसबीआई बैठकों में भागीदारीः** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नामित किये जाने पर श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. तथा श्री संदीप त्रिपाठी, प्रमुख, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने जलवायु परिवर्तन की संरचनात्मक अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 से 18 मई तक बॉन जर्मनी में आयोजित बैठकों में भाग लिया।

   एसबीएसटीए की बैठको के दौरान एलयूएलयूसीएफ से सम्बन्धित निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया : (क) विकासशील देशों में निर्वनीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, (ख) सीडीएम ए एण्ड आर परियोजनाओं के लिए भूमि की पात्रता का प्रदर्शन और (ग) छोटे पैमाने की सीडीएम ए एण्ड आर परियोजनाओं की सीमा बढ़ाना। इसके परिणामस्वरूप सीडीएम–ईबी ने अपनी 31वीं बैठक में सीडीएम ए एण्ड आर परियोजनाओं के लिए भूमि की पात्रता हेतु जनता निवेश का निर्णय लिया है। भा.वा.अ.शि.प. ने यूएनएफसीसीसी की अवक्षेपक संगठन तथा भारत सरकार की ओर से प्रस्तुति दी है। छोटे पैमाने की सीडीएम ए एण्ड आर परियोजनाओं की सीमायें बढ़ाने के लिये भारत इस समय तैयार नहीं है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने आरईडीडी के बारे में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखा। आरईडीडी इस मसले पर भारतीय अवधारणा ''प्रतिपूर्ति छूट'' को एसबीएसटीए–26 में व्यापक समर्थन मिला। संयुक्त राज्य ने भी निर्वनीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के बारे में ''क्रियाकलापों की सीमाओं'' पर भारत का समर्थन किया और कहा कि निर्वनीकरण को ''वन संरक्षण एवं स्थायीकरण'' के साथ जोड़कर देखना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के अनुसार ''क्रियाकलापों की परिधि'' को समझौते के लिए जोड़ा गया क्योंकि ब्राजील ने भारतीय फार्मूले का विरोध किया था। कैमरून/गेबोन की अगुवाई में कांगों खाड़ी के देशों ने ''वनों की स्थिरता'' को नीति के रूप में जोड़ने पर आपत्ति जताई, क्योंकि जिन देशों में निर्वनीकरण बहुत कम है। उनके लिए यह आवश्यक नहीं है, चूंकि स्थाईकरण, संरक्षण प्रक्रिया का परिणाम है इसलिए भारत ने कांगो खाड़ी के विचारों का समर्थन किया। इन्डोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश तथा सिंगापुर सहित कई देशों ने ''वनसंरक्षण'' के पक्ष में अपनी अवधारणा स्पष्ट की।

2. **महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा वन और जलवायु पर उच्चस्तरीय बैठक में भागीदारीः** श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने ''वन और जलवायु पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया जिसका आयोजन ''वन एवं जलवायु पर भूमण्डलीय शुरुआत'' पर विदेशी मामलों एवं व्यापार विभाग, आस ऐड, तथा पर्यावरण एवं जल संसाधन, आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा 23 से 25 मई 2007 को सिडनी, आस्ट्रेलिया में किया गया।

3. **महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने भूमण्डलीय कार्बन मॉनीटरिंग पद्धति पर वन जैवविविधता मापन एवं आकलन पद्धति की विशेषज्ञता व अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लियाः** श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने ''भूमंडलीय कार्बन मॉनीटिरंग पद्धति, वन जैवविविधता मापन एवं आकलन पद्धति पर 18 और 19 अक्टूबर 2007 को टक्जनों, पोलैन्ड में आयोजित विशेषज्ञता अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया।

4. **विकासशील देशों में निर्वनीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने हेतु गोलमेज सभाः** श्री वी.आर.एस. रावत, वैज्ञानिक डी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने विकासशील देशों में निर्वनीकरण के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करने हेतु बुलाई गई अन्तर्राष्ट्रीय गोलमेज सभा में 24 अक्टूबर 2007 को ब्रुस्सेल्स में भाग लिया, जिसका आयोजन क्लाईमेट फोकस बीवी, नीदरलैन्ड तथा सीएटीआईई, उष्णकटिबंधीय कृषि अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा केन्द्र द्वारा ली चेटालियन होटल, ब्रुस्सेल्स में किया गया था।

5. **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् प्रतिनिधि मण्डल द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भागीदारी, बाली, इन्डोनेशियाः** क्योटो प्रोटोकाल की पार्टियों की तीसरी बैठक की मेजबानी बाली द्वारा 3 से 14 दिसम्बर 2007 तक की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन की अवधारणा पर 13 सत्र आयोजित किये गये, भा.वा.अ.शि.प. प्रतिनिधिमण्डल में श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., श्री संदीप त्रिपाठी, सचिव, भा.वा.अ.शि.प. एवं सलाहकार जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, डॉ. रेणु सिंह, प्रमुख, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग तथा डॉ. ए. रामचन्द्रन वन उपयोजन अधिकारी, तमिलनाडु शामिल थे। इन्होंने भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल के साथ संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में करीब 180 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भा.वा.अ.शि.प. प्रतिनिधि मण्डल ने सीओपी, सीओपी/एमओपी तथा एसबीएसटीए द्वारा बाली सम्मेलन में दी गई विभिन्न कार्य सूचियों पर सक्रियतापूर्वक

भाग लिया। प्रतिनिधि मण्डल, खासकर कार्यसूची न० 5 (विकासशील देशों में निर्वनीकरण से उत्सर्जन में कमी करना) तथा नं० 9 (बी) एसबीएसटीए (छोटे पैमाने के वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण, उन्नत विकास मैकेनिज्म परियोजना) के समझौते पर कार्य हेतु सक्रिय रहा।

बाली में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने आरईडीडी में वन संरक्षण को निवारक उपाय के रूप में मुख्य स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की। नैरोबी सीओपी के बाद केर्न की कार्यशाला तथा बॉन्न ने एसबीएसटीए की बैठक के जरिये भारत ''प्रतिपूर्ति संरक्षण'' की अवधारणा को आगे रख रहा था।

बाली, इन्डोनेशिया में संयुक्तराष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भा.वा.अ.शि.प. का प्रतिनिधि मण्डल

वनों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और वनाच्छादन बढ़ाने के भारतीय प्रस्ताव को कार्बन स्टॉक बढ़ाने की नीति के रूप में भूमिका में ही नहीं वरन् संक्रियात्मक भाग (पैरा 3 और 7) में भी स्थान मिला। इसी प्रकार बाली कार्य योजना में संदर्भ के साथ–साथ नीति तथा सकारात्मक प्रोत्साहन के लिए संरक्षण सतत् प्रबंधन तथा वनों में कार्बन स्टॉक वृद्धि पर भारत की सलाह को महत्व दिया गया।

6. **''भारत में जलवायु परिवर्तन में न्यूनता लाने के लिए पणधारियों से विचार–विमर्श तथा क्षमता वृद्धि''**: भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 21 और 22 फरवरी 2008 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री प्रोदीप्तो घोष, प्रतिष्ठित सदस्य, टीईआरआई एवं पूर्व सचिव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया। श्री पी आर मोहन्ती, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, भारत सरकार, सम्माननीय अतिथि थे। कार्यशाला में कुल 88 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिनिधि मण्डल

7. **वनों के संरक्षण, सतत् प्रबंधन और वनाच्छादन वृद्धि से वनों में कार्बन स्टॉक वृद्धि का आकलन करने हेतु पद्धतियों का विकास :** भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा 7 और 8 मार्च 2008 को नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में "वनों के संरक्षण, सतत् प्रबंधन और वनाच्छादन वृद्धि से वनों में कार्बन स्टॉक वृद्धि का आकलन करने हेतु पद्धतियों के विकास" पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में, वनाच्छादन बढ़ने से वन कार्बन में सकारात्मक वृद्धि का आकलन करने हेतु संभावित पद्धतियों और प्रक्रियाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिनिधि मण्डल

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री नमोनारायण मीना, माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, द्वारा किया गया। चीन, संयुक्त राष्ट्र, पपुआ न्यूगुनिया, श्रीलंका, थाईलैन्ड, भारत, भूटान और मलेशिया सहित आठ देशों के 68 प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया। श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने भागीदारों का स्वागत किया। श्री जे.सी. काला, पूर्व वन महानिदेशक एवं सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय माननीय अतिथि थे।

8. **बैंकाक में जलवायु परिवर्तन वार्तायें 2008 में महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा भागीदारी:** भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल के रूप में श्री श्याम सरन, जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत की अगुवाई में श्री जगदीश किशवान ने थाई राजधानी में 31 मार्च से 4 अप्रैल 2008 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित बैठकों में भाग लिया। बैठक का उद्देश्य आगामी दो वर्षो में कार्यक्रम विकसित करने का था जिससे देशों को 2012 के बाद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने का अवसर मिले जब क्योटो प्रोटोकाल का पहला चरण समाप्त हो रहा हो। बैंकाक में प्रथम सत्र की अवधारणाओं के तहत् दीर्घकालिक सहयोगात्मक कार्यकलापों तथा क्योटो प्रोटोकाल के तहत सूची–I के लिए अधिक आश्वासन प्राप्त करने पर विचार किया गया, जिसमें सभी सदस्यों को पिछले दिसम्बर 2007 में बाली में लिये गयें निर्णयों के अनुसार आगे बढ़ने को कहा गया। बैंकाक में समाप्त एडब्ल्यूजीएलसीए कार्यक्रम में निर्वनीकरण से उत्सर्जन रोकने तथा संरक्षण की भूमिका, वनों के सतत् प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक बढाने के निर्णय को अन्तिम रूप दिया गया।

पाँच दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य क्योटो प्रोटोकाल के अनुरूप कार्य करने का था जिसमें 37 औद्योगिक देशों तथा यूरोपीय समुदायों ने 1990 के स्तर से 2012 तक कम से कम पांच प्रतिशत उत्सर्जन कम करने का वायदा किया है।

9. **आईएसओ 9001: 2000 भा.वा.अ.शि.प. हेतु प्रमाणीकरण:** आईएसओ का जै.वि.ज.प. प्रभाग 9001 : 2000 गुणवत्ता की प्रबंधन पद्धति के अनुरक्षण पर कार्य करता है। भा.वा.अ.शि.प. को आईएसओ 9001 : 2000 गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

10. **जलवायु समाचार पत्र :** जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग द्वारा त्रैमासिक जलवायु समाचार पत्र तैयार किया जाता है जिसमें जलवायु परिवर्तन पर आगामी घटनाओं के अद्यतन विकास की जानकारी होती है। इसे 2007–08 के दौरान भा.वा.अ.शि.प. के वैब साइट में रखा गया है।

## (घ) प्रशिक्षण

1. जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग द्वारा ''जलवायु परिवर्तन तथा वानिकी क्षेत्र से संबद्धता पर भा.व.से. अधिकारियों के लिए भा.वा.अ.शि.प., देहरादून में 7 से 11 जनवरी 2008 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें विभिन्न राज्यों के 16 भा.व.से. अधिकारियों ने भाग लिया। भागीदारों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई।

भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के
पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन

2. श्री वी.आर.एस. रावत, वैज्ञानिक 'डी' जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून ने ''सूक्ष्म जलविज्ञानीय मापन एवं सिओ$_2$ फ्लक्स मापन'' पर 17 से 26 जुलाई 2007 तक यूनसी विश्वविद्यालय, सियोल, कोरिया में 10 दिवसीस प्रशिक्षण कोर्स में भाग लिया।

## 2. अनुसंधान योजना (अ.यो.) प्रभाग

अनुसंधान योजना प्रभाग, अनुसंधान निदेशालय का कार्य, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा निधि प्राप्त योजना अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों और निष्पादन को देखना है जिसके लिए बॉटमअप पारदर्शी एवं भागीदारी पद्धति अपनाई जाती है। अनुसंधान योजना प्रभाग द्वारा बांस तकनीक सहायता वर्ग भा.वा.अ.शि.प., देहरादून का कार्य भी देखा जाता है।

वर्ष 2007–2008 के दौरान इस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गईः

❖ संस्थान स्तर पर निम्नलिखित तारीखों में अनुसंधान सलाहकार वर्ग की बैठकों में समन्वय किया गया :

| | |
|---|---|
| उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (उ.व.अ.सं.), जबलपुर | 30–31 अगस्त 2007 |
| काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी संस्थान (का.वि.प्रौ.सं.), बंगलौर | 4–5 अक्टूबर 2007 |
| हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान (हि.व.अ.सं.), शिमला | 23–24 अक्टूबर 2007 |
| वन अनुसंधान संस्थान (व.अ.सं.), देहरादून | 6–7 नवम्बर 2007 |
| वन उत्पादकता संस्थान (व.उ.सं.), रांची | 6–7 सितम्बर 2007 |
| वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (व.व.अ.सं.), जोरहाट | 27–28 नवम्बर 2007 |
| शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (शु.व.अ.सं.), जोधपुर | 21–23 सितम्बर 2007 |
| वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (व.आ.वृ.प्र.सं.), कोयम्बटूर | 12–13 दिसम्बर 2007 |

❖ अनुसंधान नीति समिति की बैठक : आरएजी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को आरपीसी के समक्ष रखा गया जिसका आयोजन 25 से 28 फरवरी 2008 तक श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में किया गया था। आयोजन का उद्देश्य भा.वा.अ.शि.प. के अधीनस्थ आठ अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नये अनुसंधान प्रस्तावों का अन्तिम अनुमोदन करना था।

आरपीसी की 9वीं बैठक में आरपीसी सदस्यों द्वारा 100 नई परियोजनाओं पर विचार–विमर्श किया गया, जिनमें से 10 परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं मिली तथा 8 परियोजनाओं को वाह्य निधिकरण के लिए अनुमोदित किया गया तथा 82 परियोजनाओं को भा.वा.अ.शि.प. निधिकरण से अनुमोदित किया गया। 9वीं आरपीसी के परिणाम संस्थाओं के अनुसार इस प्रकार हैं :

| क्र०स० | संस्थान का नाम | आरपीसी के समक्ष रखा गया | अस्वीकृत | स्वीकृत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | बाह्य निधिकरण के लिए | भा.वा.अ.शि.प. निधिकरण के लिए |
| 1. | काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर | 19 | 3 | 1 | 15 |
| 2. | हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला | 7 | – | 1 | 06 |
| 3. | वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट | 7 | – | – | 07 |
| 4. | वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन् संस्थान, कोयम्बटूर | 20 | 5 | – | 15 |
| 5. | वन उत्पादकता संस्थान, रांची | 9 | 1 | 2 | 06 |
| 6. | शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट | 4 | 1 | 1 | 02 |
| 7. | उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर | 5 | – | 1 | 05 |
| 8. | वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून | 29 | – | 2 | 26 |
| | योग | 100 | 10 | 8 | 82 |

आरपीसी के दौरान अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक परियोजना का विस्तार एवं आईपीआर घटक होना चाहिए। मुख्य संस्थानों के निदेशकों द्वारा चिन्हित प्रजातियों पर संयोजित परियोजनाएं रखी जिन पर काफी विचार विमर्श किया गया।

| प्रजाति का नाम | नोडल संस्थान | प्रजाति का नाम | नोडल संस्थान |
|---|---|---|---|
| यूकेलिप्टस | व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर | परिरक्षण भूखंड | व.अ.सं., देहरादून |
| पोपलर | व.अ.सं., देहरादून | भारत की वन मृदायें | व.अ.सं., देहरादून |
| आक्रामक प्रजातियां | व.अ.सं., देहरादून | बांस | व.व.अ.सं., जोरहाट |
| कम ज्ञात वृक्ष प्रजातियां | व.अ.सं., देहरादून | जैट्रोफा | शु.व.अ.सं., जोधपुर |
| सिस्सू | व.अ.सं., देहरादून | टीक | उ.व.अ.सं., जबलपुर |
| साल | व.अ.सं., देहरादून | | |

**निदेशकों की दूसरी बैठक :**

19 और 20 नवम्बर 2007 को भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में निदेशकों की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। निदेशकों की बैठक कुछ मुख्य विषयों पर विचार–विमर्श के लिए बुलाई गई जिनके लिए विभिन्न निदेशालयों से कार्यसूची तय की गई थी।

**बांस तकनीकी सहायता वर्ग (बीटीएसजी)** – राष्ट्रीय बांस मिशन, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्कीम है जिसके लिए 2007–08 का बजट 34.30 लाख रुपये है। इसका गठन 11 राज्यों अर्थात जम्मू–कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के लिये किया गया है।

संबधित 11 राज्यों के किसानों और कार्यक्षेत्रीय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए परिषद् ने व.अ.सं, देहरादून तथा उ.व.अ.सं., जबलपुर को नामित किया है। व.अ.सं. मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के लिए उत्तरदायी है, जबकि उ.व.अ.सं., जबलपुर को बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रशिक्षण को मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिया जाता है जिसमें बांस की पौधाशाला, रोपण, उपयोजन तथा विपणन के पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

**वर्ष 2007–08 के दौरान बीटीएसजी– भा.वा.अ.शि.प., देहरादून द्वारा किये गये क्रियाकलाप :–**

1. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा उ.व.अ.सं., जबलपुर द्वारा किसानों/कार्यक्षेत्रीय कर्मियों को प्रशिक्षण दिये गये।
2. इन्डियन फारेस्टर के मार्च 2008 के अंक को बांस विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा बांस या मैनुअल्स, ब्राउशर्स, पोस्टर्स, पैम्पलेटस तथा हैन्डआउट्स आदि भी प्रकाशित किये गये।
3. बांस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें बांस के प्रबंधन संरक्षण मूल्य एवं विस्तार पर विचार–विमर्श किया गया। सम्मेलन का आयोजन उ.व.अ.सं., जबलपुर में 12 से 14 मार्च 2008 तक किया गया।

### 3. मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (मां०मू०) प्रभाग

मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रभाग, अनुसंधान निदेशालय द्वारा भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के संस्थानों में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना को समय पर पूरा करने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक मशविरा दिया जाता है। वर्ष 2007–08 के दौरान भा.वा.अ.शि.प. निधि प्राप्त–254 और बाह्य सहायता प्राप्त 169 परियोजनाओं की समीक्षा/मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा 19 (पूर्ण हो चुकी/जारी) परियोजनाओं पर विषय विशेषज्ञों, निकायों की सलाह के आधार पर स्वतंत्र विचार भी रखे गये। इस प्रभाग द्वारा भा.वा.अ.शि.प. वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए सूचनायें एकत्र भी की जानी हैं।

## 4. परियोजना सूत्रबद्धीकरण (प.सू.) प्रभाग

यह प्रभाग, अनुसंधान परियोजनाओं को सूत्रबद्ध करने, अनुसंधान विषयों की पहचान करने तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय दानदाता निकायों के समक्ष निधि की आवश्यकता प्रस्तुत करने का कार्य करता है। यह प्रभाग भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों/केन्द्रों को निधि–अवमुक्त कराने का काम भी करता है और साथ ही चिन्हित अनुसंधान क्षेत्रों की उपयुक्तता की समीक्षा करता है।

यह प्रमाण परियोजना निधिकरण के लिए कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दानदाता निकायों से सहयोग करता है। इस समय भा.वा.अ.शि.प. के आठ संस्थानों और तीन केन्द्रों में 163 परियोजनाओं को राष्ट्रीय दानदाता निकायों तथा 5 को अन्तर्राष्ट्रीय दानदाता निकायों से निधि प्राप्त हो रही है। इसके अलावा 79 और 6 परियेाजनाओं को क्रमशः राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दानदाता निकायों से निधि प्राप्त होने वाली है।

मुख्य दानदाता निकाय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी प्रभाग, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक एवं औद्यौगिक विज्ञान परिषद् तथा बांस अनुप्रयोग राष्ट्रीय मिशन आदि।

मुख्य अंतर्राष्ट्रीय दानदाता निकाय जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग निकाय स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास निकाय, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान फाउन्डेशन, अन्तर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय प्रकाष्ठ संगठन, संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग आदि।

प्रभाग ने भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों के कई परियोजना प्रस्तावों को सूत्रबद्ध करने और चिन्हित विषयों में दानदाता निकायें की आवश्यकता और दिशा–निर्देशों के अनुरूप सामंजस्य स्थापित किया है तथा अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्रस्तावों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय दानदाता निकायों के समक्ष आगे बढ़ाया है जैसे शु.व.अ.सं., जोधपुर और व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर के सहयोगात्मक परियोजना प्रस्ताव जो ''प्रिक्ले एकेसिया : भारत में खोज– नई जैव नियंत्रण सुअवसर'' पर आधारित है और जिनमें एलन फलेचर अनुसंधान स्टेशन आस्ट्रेलिया, व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर की यूकेलिप्टस गाल वास्प पर सहयोगात्मक परियोजना तथा पोपलर पर व.अ.सं., देहरादून की अखिल भारतीय समन्वयक परियोजनाएं संबद्ध हैं।

इसके साथ–साथ शु.व.अ.सं., जोधपुर की बांस पर अखिल भारतीय संयोजित परियेाजना के अवधारण नोट का मसौदा पुनः तैयार किया गया और वित्तीय सहायता हेतु एनएमबीए को प्रस्तुत किया गया। ''वन विज्ञान केन्द्र की स्थापना एवं प्रदर्शन गांवों'' पर 19 करोड़ रुपये हेतु अवधारणा नोट का मसौदा भी पुनः तैयार किया गया (जो विस्तार निदेशालय के लेख पर आधारित था) और निधिकरण हेतु जेआईसीए को अग्रेसित करने के लिए एमओईएफ को प्रस्तुत किया गया।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, संस्थानों/केन्द्रों की सहयोगात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कई एमओयू तथा अनुबंधों का विश्लेषण किया गया और सक्षम अधिकारी अर्थात एमओयू, का.वि.प्रौ.सं., बंगलौर (जैव प्रौद्योगिकी विभाग सहित), कोंकण स्पेसियलिटी पॉली प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

एवं इटेलियन व्यापार आयोग, एमओयू, व.उ.सं., रांची के साथ चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर के सहयोगात्मक अनुबंध तथा एलन फ्लेचर अनुसंधान केन्द्र, आस्ट्रेलिया के साथ शु.व.अ.सं., जोधपुर आदि के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

**बिहार परियोजना :**

प्रभाग ने, व्यापक बिहार परियोजना के निष्पादन में समन्वय किया जिसका नाम ''समुदाय आधारित समन्वित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना, बिहार'' भाग–I रखा गया। इसे भा.वा.अ.शि.प. द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के साथ क्रियान्वित करना है। उत्तरी बिहार के वैशाली जिले में किसानों के खेतों में पोपलर आधारित कृषि वानिकी कार्यक्रम में भा.वा.अ.शि.प. घटक से संबद्ध क्रियाकलापों को जानने के लिए कार्यक्षेत्रों का दौरा किया गया। नियमित रूप से समीक्षात्मक बैठकों की व्यवस्था की गई और प्रभाग द्वारा विहित परियोजना की प्रगति को मॉनीटर करने हेतु कार्य सूचियां जारी की गई और आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्णयों का रिकार्ड रखा गया।

**भारत के वनों का इतिहास–1947 के बाद:**

ई.पी. स्टेबिंग द्वारा चार खंडों में लिखी गई पुस्तक ''भारतीय वन'' में 1796 से 1947 तक के वन विकास कार्यक्रम का वर्णन किया गया है। यह निश्चय किया गया कि 1947 से 2005 तक के वनों के इतिहास को प्रलेखीकृत किया जाय। यह काम भा.वा.अ.शि.प., देहरादून को सौंपा गया है। विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श के उपरान्त अध्यायों को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिसमें वन नीति, वन अधिनियम और कानून, वन प्रशासन, वन प्रबंधन, वन्यजीव प्रबंधन, पंचवर्षीय योजनाओं और वानिकी, सामाजिक वानिकी सहभागिता वन प्रबंधन तथा राजस्व की प्राप्ति आदि शामिल है।

दस अध्यायों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और प्रस्तावित पुस्तक का पहला भाग ''स्वत्रंता प्राप्ति के बाद भारतीय वनों का विकास'' वाल्यू. I शीघ्र प्रकाशित होने वाला है।

## वानिकी शिक्षा

### 5. शिक्षण प्रभाग

शिक्षण प्रभाग, शिक्षा निदेशालय द्वारा देश में वानिकी शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है जिससे वानिकी शिक्षा की संरचनात्मक सुविधाओं तथा संकायों में सुधार हो जैसे संरचनात्मक विकास, वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद, पुस्तक/जर्नल्स, मिस्टचेम्बर बनाना तथा शिक्षण परिसरों में इसी प्रकार की शिक्षा/अनुसंधान सुविधायें, खेल–कूद/गेम्स और विद्यार्थियों की अन्य आवश्यकताओं, निर्वचन म्यूजियम की स्थापना, कम्प्यूटर्स, शिक्षण मैनुअल्स, कार्यशाला/सेमीनारों का आयोजन आदि कार्यशालाओं/सेमीनारों में शिक्षकों की भागीदारी तथा विद्यार्थियों के अध्ययन दौरे आदि। वित्तीय वर्ष 2007–08 अर्थात अप्रैल 2007 से मार्च 2008 के बीच 12 विश्वविद्यालयों को 500.50 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

स्नातक/स्नातकोत्तर कोर्सो में वानिकी पाठ्यक्रम में समानता लाना तथा मानकीकरण करना। निदेशालय ने विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए बी.एससी/एम.एससी के पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है जिससे स्तरीय शिक्षा दी जा सके और विद्यार्थी समुदाय के हितों का संरक्षण हो सकें, खासकर वानिकी क्षेत्र में।

**वानिकी कालेजों/कोर्स पाठ्यक्रम का निष्पादनः** कोर्स पाठ्यक्रम को मान्यता देने और कालेजों द्वारा निष्पादन करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्धारित करते हुये अधिमान्य पद्धति निश्चित की गई है।

**मानव संसाधन प्रसार कार्यक्रमः** प्रबंधकीय, वैज्ञानिक और तकनीकी संवर्ग में क्षमता वृद्धि के लिए भा.वा.अ.शि.प. ने पांच वर्ष का एच.आर.डी. कार्यक्रम अपनाया है जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

- ❖ प्रबंधकों और वरिष्ठ अनुसंधानकर्ताओं के प्रबंधकीय कौशल की वृद्धि करना और उन्हें वानिकी अनुसंधान की वर्तमान सोच और प्रवृत्तियों से अवगत रखना।
- ❖ प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्यशालाओं, सेमीनारों आदि से विशिष्टीकरण के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं की सक्षमता में वृद्धि करना।
- ❖ व्यासायिक कौशलों, प्रयोगशाला प्रबंधन, कार्यक्षेत्रीय अन्वेषणों आदि में सभी स्तरो ंके सहायक कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना।

### आयोजित प्रशिक्षण

1. ''अनुसंधान पद्धति'' पर प्रशिक्षण आई.ए.एस.आर.आई., नई दिल्ली में 7 से 18 जनवरी 2008 तक दिया गया।
2. "अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रशासन" पर प्रशिक्षण का आयोजन 3 से 14 मार्च 2008 तक एएससीआई, हैदराबाद में किया गया।
3. ''आधारिक वानिकी'' पर प्रशिक्षण का आयोजन 11 फरवरी 2008 से 18 अप्रैल 2008 तक एसएफएससी, देहरादून में किया गया।

## 6. नीति अनुसंधान (नी.अ.) प्रभाग

नीति अनुसंधान प्रभाग, शिक्षा निदेशालय को वानिकी के क्षेत्र मे ''नीतिगत अनुसंधान'' करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उपरोक्त अधिदेश के सामंजस्य में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश सं० 12–1/2006–एफ०पी०, दिनांक 23 अगस्त 2006 के तहत नीति अनुसंधान के मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया।

समिति ने निम्नलिखित तीन विषयों पर कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लियाः

- ❖ देश में वन और वृक्षाच्छादन के अनुपात का आकलन करने हेतु वैज्ञानिक आधार।
- ❖ देश में गरीबी उन्मूलन के लिए वानिकी के संबंध का विश्लेषण करना और नीतियों को देश के विकास के संदर्भ में लागू करना।
- ❖ वृक्ष सुधार के लिए स्तरीय बीजों/रोपण स्टॉक नियमितीकरण करना, नीतियों और वैधानिक मूल्यों को सूत्रबद्ध करना, जिससे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोपण क्रियाकलापों का लाभ उठाया जा सके।

समिति की संस्तुतियों और सलाहों के आधार पर इस निदेशालय ने निम्नलिखित निकायों के जरिये अनुसंधान नीति अध्ययनों में परामर्शी सेवाओं की शुरुआत की।

| विषय क्षेत्र | परामर्शदाता |
|---|---|
| ''भारत के लिये आवश्यक वनों और वृक्षाच्छादन हेतु विवेकपूर्ण प्रावधान बनाना'' | वन एवं पर्यावरण विज्ञान अकादमी, देहरादून |

| | |
|---|---|
| ''वनीय बीजों और वानस्पतिक मूल के रोपण स्टॉक सामग्री के प्रमाणीकरण हेतु सांस्थानिक एवं नियामक मैकेनिज्म की आवश्यकता'' | मैसर्स प्यारेलाल एवं अन्य, फगवाड़ा, (पंजाब) |
| ''गरीबी उन्मूलन एवं वानिकी कार्यक्रमों के बीच तालमेल का विश्लेशण करना'' | मैसर्स टी.एन.एस. इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली |

उपरोक्त पर मैसर्स प्यारेलाल एवं अन्य परामर्शियों द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट भेज दी गई है अर्थातः ''वनीय बीजों और वानस्पतिक मूल के रोपण स्टॉक सामग्री के प्रमाणीकरण हेतु संस्थायिक एवं नियामक मैकेनिज्म की आवश्यकता''। इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

## वानिकी विस्तार

### 7. मीडिया एवं प्रकाशन (मी.प्र.) प्रभाग

मीडिया एवं प्रकाशन प्रभाग द्वारा वानिकी क्षेत्र में वैज्ञानिक खोजों का प्रसार करने हेतु भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों द्वारा अपनायें जा रहे विस्तार क्रियाकलापों तथा रणनीतियों पर नजर रखी जाती है। यह प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों का मासिक लेखाजोखा रखता है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सूचित करता है। यह प्रभाग भा.वा.अ.शि.प. का त्रैमासिक न्यूज लेटर तथा भा.वा.अ.शि.प. ब्राशुअर्स प्रकाशित करता है जिसमें भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों की नवीनतम उपलब्धियों का विवरण दिया जाता है। भा.वा.अ.शि.प. और उसके संस्थानों की रिपोर्टो को संग्रहित, संकलित और सम्पादित करके वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है। भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों की पुस्तकों, ब्राशुअर्स, पैम्पलेट्स और तकनीकी रिपोर्टो का अन्तिम रूप में प्रकाशन करने से पहले इस प्रभाग द्वारा सम्पादन, जांच और प्रक्रमण किया जाता है।

एस.एफ.डी. के सहयोग से वन विज्ञान केन्द्रों की स्थापना तथा भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों द्वारा प्रदर्शन गावों को अपनाने हेतु चयन का कार्य प्रगति पर है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में वन विज्ञान केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है जबकि अन्य राज्यों में इनके क्रियाकलाप विभिन्न स्तरों पर जारी है। भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों द्वारा चयनित प्रदर्शन गांवों में प्रदर्शन और विस्तार तकनीकें जैसे कृषि वानिकी मॉडल्स, मॉडल/हाईटेक पौधशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षण तथा आसान तकनीकों के हस्तान्तरण का कार्य किया गया।

### 8. सांख्यिकी प्रभाग

सांख्यिकी प्रभाग, विस्तार निदेशालय ने त्रैमासिक बुलेटिन के चार खंड 51–54 ''प्रकाष्ठ बांस व्यापार बुलेटिन'' प्रकाशित किया। प्रभाग के अन्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

**परियोजना 1: भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकाष्ठ एवं अन्य वानिकी प्राचलों के प्रसार, संग्रह और प्रक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए नेटवर्क की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय प्रकाष्ठ संगठन द्वारा निधि प्राप्त**

**स्थितिः (क)** राज्य वन विभागों को वानिकी सांख्यिकी रिपोर्टिंग पद्धति के बारे में जागरूक करने के लिए भा.वा.अ.शि.प. के प्रत्येक संस्थान में आठ क्षेत्रीय कार्यशालायें आयोजित की गई।

**(ख)** सत्यापन योग्य सूचकों को अन्तिम रूप देने और क्षेत्रीय कार्यशालाओं की कार्यवाहियों को प्रस्तुत करने के लिए 26 और 27 मार्च 2008 को पणधारियें की राष्ट्रीय सेमीनार/कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला हेतु सी.एस.ओ. तथा आई.टी.टी.ओ. परियोजनाओं ने संयुक्त रूप से निधिकरण किया।

**परियोजना 2: भारत के प्रकाष्ठीय तथा गैर प्रकाष्ठीय वन उत्पादों की दरों और अनुपात जानने के लिए नमूना सर्वेक्षण–केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा निधि प्राप्त**

**स्थिति** : डाटा संग्रह, विश्लेषण किया गया तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

## विविध

1. अन्तर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय प्रकाष्ठ संगठन द्वारा संयुक्त वानिकी क्षेत्र के लिए प्रश्नावली हेतु डाटा संग्रह एवं प्रसार।

2. ''भारत में वानिकी सांख्यिकी'' 2005 और 2007 के द्विवर्षीय प्रकाशन हेतु डाटा संग्रह, संकलन एवं प्रविष्टि।

### 9. पर्यावरणीय समाघात आकलन (प.स.आ.) प्रभाग

पर्यावरणीय समाघात आकलन प्रभाग, विस्तार निदेशालय द्वारा विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए देश में प.स.आ. अध्ययन किये जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान प.स.आ. प्रभाग द्वारा निम्नलिखित अध्ययन पूर्ण किये गये हैं :

1. एन.ए.ई.बी. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का मध्यावधि मूल्यांकन।

कोलाहपुर एफ.डी.ए., महाराष्ट्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

एन.ए.पी. योजना का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिविकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100% केन्द्रीय सेक्टर प्रायोजित स्कीम के रूप में 9वीं तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। एफ.डी.ए.–जे.एफ.एम. मैकेनिज्म से क्रियान्वयन में बाधाओं और रूकावटों की पहचान करने और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य की गति बढ़ाने के लिए एन.ए.ई.बी. ने भारतीय वानिकी परिषद, देहरादून को एन.ए.पी. स्कीम के मध्यावधी मूल्यांकन का कार्य सौंपा। तद्नुसार, भा.वा.अ.शि.प. ने संस्थानों के विशेषज्ञों की सहायता से सभी 27 राज्यों का देशव्यापी सर्वेक्षण किया, जिसमें 182 एफ.डी.ए. शामिल थे। परामर्श की अन्तिम रिपोर्ट एन.ए.ई.बी. को सौंप दी गई है।

2. नई दिल्ली म्यून्सीपल कार्पोरेशन (एन.डी.एम.सी.) के तालकटोरा स्टेडियम के उच्चीकरण के लिए त्वरित पर्यावरणीय समाघात आकलन अध्ययन।

नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम स्थल का स्तरोन्नयन

नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम, मध्य वन श्रृंखला के पास स्थित है। एन.डी.एम.सी. ने तालकटोरा स्टेडियम का उच्चीकरण करने की योजना बनाई है और 2010 में दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पांच मंजिली इमारत बनाने का प्रस्ताव रखा है। तदनुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के लिए त्वरित पर्यावरणीय समाघात अध्ययन किये गये। एन.डी.एम.सी. में त्वरित ई.आई.ए. के लिए परामर्श हेतु भा.वा.अ.शि.प. को चुना है। विस्तृत अध्ययन किये गये और एन.डी.एम.सी. को अन्तिम रिपोर्ट दी गई है।

3. आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास कार्पोरेशन लि. के लिए विशाखापट्टनम जिले के गलीकोण्डा, रखताकोण्डा और चिट्टामगोंडी में बाक्साईट के डिपोजिट स्थलों का पर्यावणीय समाघात आंकलन, सामाजिक आर्थिक तथा पारितंत्रीय अध्ययन।

आंध्र प्रदेश सरकार के पास पूर्वी घाटों के जनजातीय क्षेत्रों में बाक्साईट के 600 मिलियन टन का विशाल भण्डार है। आंध्र प्रदेश खनिज विकास कार्पोरेशन का उद्देश्य तीन भण्डारों से यथाशीघ्र खनिजों का निष्कर्षण करना है। ये क्षेत्र हैं: अनन्तगिरी मण्डल में गलीकोण्डा, रखताकोण्डा और विशाखापट्टनम जिले के अराकू मण्डल में छिट्टामगोंडी। इस खनन् क्रियाकलाप के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित खनन क्षेत्र में ए.पी.एम.डी.सी. ने विस्तृत ई.आई.ए. एस.आई.ए. तथा ई.एम.पी. अध्ययनों के लिए भा.वा.अ.शि.प., देहरादून को चुना है। तद्नुसार, भा.वा.अ.शि.प. ने काष्ठ जैवनिम्नीकरण (समुद्री) केन्द्र विशाखापट्टनम, तथा वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में विशेषज्ञों की टीम लेकर व्यापक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है। परामर्श की ड्राफ्ट रिपोर्ट ए.पी.एम.डी.सी. को सौंप दी गई है।

4. गलीकोण्डा, रखताकोण्डा और छिट्टामगोंडी में आंध्र प्रदेश खनिज विकास प्राधिकरण लिमिटेड के लिए बाक्साईड खनन हेतु आवाह क्षेत्र उपचार योजना। आंध्र प्रदेश खनिज विकास कार्पोरेशन का उद्देश्य तीन भण्डारों से यथाशीघ्र खनिजों का निष्कर्षण करना है। ये क्षेत्र हैं: अनन्तगिरी मण्डल में गलीकोण्डा, रखताकोण्डा और विशाखापट्टनम जिले के अराकू मण्डल में छिट्टामगोंडी। इस खनन क्रियाकलाप के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने हेतु मैसर्स ए.पी.एम.डी.सी. ने प्रस्तावित खनन क्षेत्र में व्यापक आवाह क्षेत्र उपचार योजना हेतु भा.वा.अ.शि.प., देहरादून को चुना है। भा.वा.अ.शि.प. ने काष्ठ जैवनिम्नीकरण (समुद्री) केन्द्र विशाखापट्टनम, तथा वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन कोयम्बटूर की टीम लेकर व्यापक अध्ययन प्रारम्भ किया है। परामर्श की ड्राफ्ट रिपोर्ट ए.पी.एम.डी.सी. को सौंप दी गई है।

5. पाबर घाटी पावर कार्पोरेशन लि., हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत के लिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिल में रेणुका बांध परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना।

पाबर घाटी पावर कार्पोरेशन लि. (हिमाचल प्रदेश, राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में डडहू गांव के पास गिरी नदी में रेणुका बांध, भण्डारण संरचना बनाना प्रस्तावित है। कॉमनवेल्थ खेलों (2010) के आयोजन के पहले दिल्ली को पेयजल सुविधा मुहैया कराने के लिए यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार तथा दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम है। दिल्ली को पेयजल उपलब्ध कराने और 40 मेघावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए परियोजना में वर्षाजल को भण्डारित करने का प्रस्ताव है। बांध की ऊंचाई 148 मीटर और तालाब की लम्बाई गिरी नदी में 24 कि.मी. होगी। इमसें 1197.60 हे. भूमि जलमग्न हो जायेगी। व्यापक ई.आई.ए./ई.एम.पी. अध्ययनों के लिए एच.पी.एस.ई.बी. ने भा.वा.अ.शि.प. को परामर्श के लिए चुना है। भा.वा.अ.शि.प. ने वन अनुसंधान संस्थान, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान से अपने विशेषज्ञों तथा मैसर्स एम.ए.एन.टी.ई.सी. लि० दिल्ली की सहायता से व्यापक अध्ययन किये हैं और परामर्श की ड्राफ्ट रिपोर्ट एच.पी.एस.ई.बी. को सौंप दी गई है।

6. अवाह क्षेत्र उपचार योजना के साथ ई.आई.ए. तथा ई.एम.पी. की तैयारी, जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लि. मुम्बई के लिए झारखंड में अंकुआ लोह अयस्क भण्डार के लिए जलविज्ञानीय तथा निकासी पर अध्ययन।

जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लि० ने झारखंड राज्य में 10 मिलियन टन (एम.टी.) प्रतिवर्ष क्षमता का संयुक्त स्टील प्लान्ट और उसके साथ 900 एम.डब्ल्यू. कैप्टिव पावर प्लान्ट, लोह अयस्क, कोयला खानों और चूना पत्थर/डोलोमीयोट खानों पर खनन् कार्य करने का प्रस्ताव रखा है। डब्ल्यू सिंगभूम जिले में अंकुआ लोह अयस्क के भण्डार 999.90 हे. वन क्षेत्र में फैले हुये हैं। जे.एस.डब्ल्यू स्टील लि. ने अवाह क्षेत्र उपचार सहित ई.आई. तथा ई.एम.पी. हाइड्रोलॉजी और निकासी पर अध्ययन करने का काम भा.वा.अ.शि.प. को सौंपा है। परामर्शी कार्य प्रगति पर है। अब तक एक मौसम (सर्दी) का डाटा एकत्र किया गया है।

## सामान्य प्रशासन

### 10. प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (प्र.सू.प्रौ.प्र.)

सूचना प्रौद्योगिकी सेल, प्रशासन निदेशालय, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और उसके संस्थानों/केन्द्रों में उपभोक्ताओं की सूचना एवं प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों का व्यापक वर्गीकरण इस प्रकार है :–

- ❖ एल.ए.एन. – डब्ल्यू.ए.एन. – सहायता
- ❖ हार्डवेयर्स का प्रापण और अनुरक्षण
- ❖ ई–गवर्नेन्स
- ❖ नये प्रस्ताव
- ❖ प्रशिक्षण
- ❖ वीडीयो–कान्फ्रेसों बैठकों, सम्मेलनों, सेमीनारों तथा कार्याशालाओं आदि में तकनीकी प्रस्तुति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता देना।

**एल.ए.एन./डब्ल्यू.ए.एन. –सहायता**

- ❖ एम.पी.एल.एस. वी.पी.एन. अर्थात 11 एम.पी.एल.एस. लीज्ड लाईन तथा 2 एम.बी.पी.एस. 1:1 इन्टरनेट बैंड विड्थ का नियमित अनुरक्षण/मॉनीटरिंग।

- ❖ भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय, व.अ.सं., व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर, उ.व.अ.सं. तथा व.अ.सं. में करीब 600 उपभोक्ताओं के लिए ई–मेल, इन्टरनेट आदि का नियमित अनुरक्षण और रिपोर्टिग करना।
- ❖ भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय के सी.एम.एस. आधारित वैबसाईट www.icfre.gov.in को अद्यतन रखना।
- ❖ भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय तथा उसके संस्थानों के उपभोक्ताओं को सुविधायें मुहैया कराने के लिए प्रोक्सी सर्वर/वैब सर्वर का नियमित अनुरक्षण करना।
- ❖ केन्द्रीकृत ए.वी. सर्वर के जरिये भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय तथा व.अ.सं. परिसर मे नेटवर्क एन्टीवायरस सुविधा का नियमित अनुरक्षण और रिपोर्टिग।

**हार्डवेयर का प्रापण और अनुरक्षण**

सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ द्वारा थर्ड पार्टी वेन्डर्स के जरिये, भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय तथा व.अ.सं. में स्थापित कम्प्यूटरों और पेरीफोरिकल हार्डवेयर के अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। हार्डवेयर्स का श्रेणीकरण और सूचीबद्धीकरण किया गया है ताकि आवश्यक अनुरक्षण हेतु वेन्डर्स के साथ सामंजस्य किया जा सके। ए.एम.सी. के अधीन पांच विभिन्न वेन्डर्स के अलग–अलग किस्म के हार्डवेयर्स हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ द्वारा भा.वा.अ.शि.प. ए.एम.सी. फोटोकापियों का प्रबंधन किया जाता है जिसके लिए तीन वेन्डर्स हैं जो अपने ब्रांड की मशीनों अर्थात जीरोक्स, एच.सी.एल. और राइको से कार्य कर रहे हैं।

खपत योग्य सामग्रियों और/प्रिंटर्स कार्टरिज के लिए दर संविदा जारी कर दी गई है जिसमें तीन वेन्डर्स के जरिये भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय के उपभोक्ताओं के लिए प्रावधान रखा गया है।

**ई. गवर्नेन्स**

- ❖ भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं सूचना पद्धति की योजना बनाई गई और दो प्रारंभिक स्थितियों अर्थात : अवधारणात्मकता और व्यापार प्रक्रिया पुनर्निर्माण सहित परियोजना विकास के पूर्ण होने के पश्चात तीसरी स्थिति अर्थात : साफ्टवेयर विकास और क्रियान्वयन प्रगति पर है और मार्च 2009 तक अनुप्रयोग को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।
- ❖ भा.वा.अ.शि.प. वाइड एम.पी.एल.–वी.पी.एन. अपने स्थान पर है और इन्टरनेट/ई मेल सेवाओं का केन्द्रीकरण किया गया है जिन्हें भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालयों द्वारा प्रबन्धित किया जा रहा है।
- ❖ भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालयों में वीडीयो कान्फ्रेसिंग को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। जिसके आठ क्षेत्रीय संस्थान, देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुये हैं।
- ❖ भा.वा.अ.शि.प. वैबसाईट पर आधारित न्यू कान्टेट प्रबंधन पद्धति चालू है।

**शुरुआतें**

- ❖ पुराने हार्डवेयर (डेस्कटॉप, प्रिंटर्स और लैपटॉप) का उच्चीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

- ❖ भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों में स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क को समेकित किया जायेगा तथा एकल थर्ड पारी वेन्डर द्वारा प्रबंधित किया जायेगा।
- ❖ पूरी भा.वा.अ.शि.प. में एकल एन्टीवाइरस को स्थापित किया गया है।

**प्रशिक्षण**

- ❖ भा.वा.अ.शि.प. और उसके संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इन–हाउस प्रशिक्षण दिया गया है।
- ❖ केन्द्रीय एन्टीवाइरस के उपयोग में कम्प्यूटरों को सुरक्षित रखा जायेगा।

## विविध

सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ द्वारा भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों के बीच वीडीयो कान्फ्रेसिंग करने के लिए तकनीकी सहयोग दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ द्वारा भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय तथा व.अ.सं. में आयोजित सभी बैठकों, सम्मेलनों, सेमीनारों तथा कार्याशालाओं आदि के समय 2007–08 सूचना प्रौद्योगिकी और बीजुअल व्यवस्थाओं में सहयोग दिया गया।

## प्रकाशन

### पुस्तिकायें / पैम्पलेट्स

1. संदीप त्रिपाठी, विजयराज सिंह रावत तथा ओम कुमार (2007). स्वच्छ विकास क्रियाविधि। वनीकरण एवं पुनःवनीकरण परियोजनाएं, वन दर्पण अंक 7, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून।
2. रेनू सिंह, विजयराज सिंह रावत तथा ओम कुमार (2008). सी.डी.एम. सिंक परियोजनाएं वनीकरण एवं पुनःवनीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रश्नोत्तरी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा प्रकाशित।
3. रेणु सिंह तथा विजय राज सिंह रावत (2008). जलवायु परिवर्तन पर संसाधन मैनुअल तथा भारतीय वन सेवा अधिकारियों, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून से वानिकी क्षेत्र में संबद्धता।
4. विजयराज सिंह रावत तथा ओम कुमार (2008). सी.डी.एम.ए. एण्ड आर. परियोजना पर लगातार प्रश्न पूछे गये। भा.वा.अ.शि.प. प्रकाशन 2008 द्वारा प्रकाशित।